न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–361 सन् 2006

अनवारूल हक.........................वादी।

बनाम

एहसानुल हक वगैरह..........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 05.03.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से प्रतिवादी सं0 02 का नाम काटने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 02.01.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 02 इनामुल हक की मृत्यु दिनांक 03.06.2021 को अपने कानूनी वारिसान उनकी पत्नी शर्बत्त प्रवीण पुत्र अंसारूल हक, पुत्री कैकश परवीन को छोड़कर हो गई है। प्रतिवादी सं0 02 बाहर रहते थे इसलिए उनकी मृत्यु की जानकारी समय से नहीं हो सकी। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 02 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से विलंब माफी तथा एबेटमेंट सेटेसाईट हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 02 इनामुल हक की मृत्यु दिनांक 03.06.2021 को अपने कानूनी वारिसान उनकी पत्नी शर्बत्त प्रवीण पुत्र अंसारूल हक, पुत्री कैकश परवीन को छोड़कर हो गई है। वादी दिनांक 05.03.2024 को पूरक आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी सं0 02 के पत्नी का नाम प्रतिवादी सं0 02 के स्थान पर जोड़ने हेतु दाखिल किया हैं। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर चुका है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 02.01.2024 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक.........................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।